Revised RR for Sr. Statistical Officer

रजिस्ट्री सं. डी.एल. (एन) 04/0007/2003—05

REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-06032020-216544

CG-DL-W-06032020-216544

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

WEEKLY

सं. 08] नई दिल्ली, फरवरी 23—फरवरी 29, 2020, शनिवार / फाल्गुन 4—फाल्गुन 10,1941

No. 08] NEW DELHI, FEBRUARY 23—FEBRUARY 29, 2020, SATURDAY/PHALGUNA 4—PHALGUNA 10, 1941

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

गृह मंत्रालय

(न्यायालयिक विज्ञान सेवा निदेशालय)

नई दिल्ली, 24 फरवरी, 2020

सा.का.नि.38.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, अनुसचिवीय (समूह -ख पद) भर्ती नियम 1976 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय, न्यायालयिक विज्ञान सेवा निदेशालय एवं इसकी बाहरी इकाइयो में प्रशासनिक अधिकारी, (समूह ख पद) पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थातः-

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग)

नई दिल्ली 25 फरवरी, 2020

सा.का.नि. 44.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और राष्ट्रीय एटलस और थिमैटिक मानचित्रण संगठन (ज्येष्ठ सांख्यिकी अधिकारी) भर्ती नियम, 1989 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, राष्ट्रीय एटलस और थिमैटिक मानचित्रण संगठन में ज्येष्ठ सांख्यिकीय अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय एटलस और थिमैटिक मानचित्रण संगठन (ज्येष्ठ सांख्यिकी अधिकारी) भर्ती, नियम, 2020 है।

   (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे*

2. **पद-संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति-

   (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है या

   (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगाः

   परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा **संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके** इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, **अन्य पिछड़े वर्गों,** भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद है अथवा अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु–सीमा	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

ज्येष्ठ सांख्यिकी अधिकारी	01* (2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-10 (56100-177500 रु.)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि , यदि कोई हो	**भर्ती की पद्धति:** भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	प्रोन्नति किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है/प्रोन्नति द्वारा।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियां में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
संयुक्त पद्धति से [प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) /प्रोन्नति द्वारा] केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या स्वायत्त या कानूनी संगठन या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान या अनुसंधान संस्थान के ऐसे अधिकारी: (क) (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-9 (53,100-167,800 रू.) / वेतन मैट्रिक्स में स्तर-8 (47600-151100 रू.) में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में 2 वर्षो की नियमित सेवा की हो, या (iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7 (44900-142400 रू.) या उसके सदृश, में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो, या iv) जिन्होने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (35400-112400 रू.) या इसके सदृश, में नियमित आधार पर उस पद	**विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:-** 1. निदेशक, राष्ट्रीय एटलस और थिमैटिक मानचित्रण संगठन - अध्यक्ष 2. संबद्ध संयुक्त सचिव, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग -सदस्य 3. निदेशक या संबद्ध उपसचिव, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग -सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में आठ वर्ष की नियमित सेवा की हो; और (ख) जो निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों: **आवश्यक:** (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से सांख्यिकी या अनुप्रयुक्त सांख्यिकी में मास्टर डिग्री। (ii) सांख्यिकी आंकड़ों के विश्लेषण और संकलन में तीन वर्षों का अनुभव। **वांछनीय** मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कम्पयूटर उपयोजन /सूचना प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा या प्रमाण पत्र **टिप्पण 1:** ऐसे विभागीय सांख्यिकी अधिकारी जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (35400-112400 रू.) में 8 वर्ष तक की नियमित सेवा की हो और जो शैक्षणिक अर्हताएं रखते हों और प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति पर विचार करने के लिए विहित अनुभव रखते हों और जिन्होंने केन्द्रीय मंत्रालय/ मान्यताप्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से अनुप्रयुक्त सांख्यिकी में चार सप्ताह का प्रशिक्षण पूरा कर लिया है उन पर बाहरी आवेदकों के साथ विचार किया जाएगा। यदि विभागीय अभ्यर्थी का चयन इस पद के लिए होता है, तब यह माना जाएगा कि इसको प्रोन्नति द्वारा भरा गया है। **टिप्पण 2:-** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।		

[फा. सं. एस एम/01/17/2017]

अनीता धादरा, अवर सचिव

MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

(Department of Science and Technology)

New Delhi, the 25th February, 2020

G.S.R.44.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the National Atlas and Thematic Mapping Organisation (Senior Statistical Officer) Recruitment Rules, 1989, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the said post of Senior Statistical Officer in the National Atlas and Thematic Mapping Organisation, Department of Science and Technology, Ministry of Science and Technology, namely:-

1. **Short title and commencement.—** (1) These rules may be called the National Atlas and Thematic Mapping Organisation (Senior Statistical Officer) Recruitment Rules, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in pay matrix.**—The number of said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit and qualifications etc.** – The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.**– No person, –

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing, and in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Pay Level in the Pay Matrix	Whether Selection post/Non Selection post	Age limits for Direct Recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Senior Statistical Officer	1* (2020) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Non-Ministerial, Gazetted, Group-'A'	Level-10 in the pay matrix (Rs.56100-177500)	Not Applicable	Not Applicable

Educational and other Qualification required for direct recruits	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotees	Period of Probation, if any	Method of Recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(7)	(8)	(9)	(10)
Not Applicable	Not Applicable	Two years for the promotees	Deputation including short term contract/Promotion.

In case of recruitment by Promotion or Deputation or absorption grades from which promotion or deputation or absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Composite method Deputation (Including Short Term Contract/ Promotion): Officers under the Central Government/ State Government or Union Territory Administration or Autonomous or	**Departmental Confirmation Committee** consisting of: 1) Director, National Atlas and Thematic Mapping Organisation - Chairman (2)Joint Secretary concerned, Department of Science and Technology - Member	Consultation with UPSC is necessary.

Statutory Organisation or Public Sector Undertaking or Recognized University or Institute or Research Institution: (a)(i) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with two years service rendered after appointment to the post on a regular basis in the Level-9 in the pay matrix (Rs 53,100- 1,67,800)/Level-8 in the pay matrix (Rs. 47,600- Rs.1,51,100/-) or equivalent in the parent cadre or department; or (iii) with three years service rendered after appointment to the post on a regular basis in the Level-7 in the pay matrix (Rs. 44,900- Rs.1,42,400/-) or equivalent in the parent cadre or department; or (iv) with eight years service rendered after appointment to the post on a regular basis in the Level-6 in the pay matrix (Rs. 35,400- Rs.1,12,400/-) or equivalent in the parent cadre or department; and (b) Possessing the following educational qualification and experience: **Essential:** (i)Masters Degree in Statistics or Applied Statistics from a recognised University or Institute. (ii) Three years experience in compilation and analysis of Statistical data. **Desirable:** (i) Diploma or certificate in computer application/IT from a recognized university or institute. **Note 1:** The departmental Statistical officer in Level-6 in the pay matrix (Rs. 35,400- Rs.1,12,400/-) with 8 years of regular service and having the educational qualifications and experience prescribed for considering appointment on deputation basis and having successfully completed four weeks training in the area of Applied Statistics from Central Ministry/recognised institute or University is considered along with outsiders. If the departmental candidate is selected for appointment to the post, it shall be treated as having been filled by promotion. **Note 2:** The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The Maximum age limit for appointment by	(3) Director or Deputy Secretary concerned, Department of Science and Technology - Member	

deputation shall be 'Not exceeding 56 years' as on the last date of receipt of applications.		

[F. No. SM/01/17/2017]

ANITA DHADRA, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2020.03.06 10:40:19 +05'30'